न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 49/2017

सरकार बनाम रामानन्द, राजकुमार, श्रीनिवास पि. सांवलराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–बांजड़ोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 20.07.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान स्वयं अनुपस्थित। गैर सायलान की ओर से श्रीनिवास का पुत्र प्रमोद उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान रामानन्द, राजकुमार, श्रीनिवास पि. सांवलराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–बांजड़ोली द्वारा रोही मौजा बांजड़ोली की राजकीय भूमि ख.नं. 72 कुल रकबा 0.32 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर पाड़कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान की ओर से प्रमोद पुत्र श्रीनिवास ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने अतिक्रमण हटा लिया है। गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 10 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 12/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़